

30/6/16

पनावली राजस्व लोक अदालत शिक्तिने पेशद्वारा
 पनावली का अवलोकन किया गया वकील सामान्य
 को गैरलाभकारी की तालवी हेतु तालवाना पेशद्वारे
 के लिए पर्याप्त लेनी अधिक समय दिया किन्तु
 तालवाना पेशद्वारा नहीं प्राप्त जाता है अतः
 प्रमाण आख्या निषेधाज्ञा अल्प तकभीन तालवाना
 रकारिज किया जाता है। पनावली के लान प्रमाण
 होना वक्त से कम की जायत नई तकभीन रकारिज
 उपलब्ध की जाये।

(Handwritten Signature)

उपर्युक्त अधिकारी
 (एसडीएम) हिन्दोल